संख्या-02/2022/ई-1965615/71-3099/460/2021-03

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
फिरोजाबाद।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक 04 जनवरी, 2022**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद से सम्बद्ध चिकित्सालय परिसर के स्थल विकास कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद से सम्बद्ध चिकित्सालय परिसर के स्थल विकास कार्य हेतु उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन की अनुमोदित लागत **रू0 908.20 लाख (रू0 नौ करोड़ आठ लाख बीस हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में **रू0 150.00 लाख (रू0 एक करोड़ पचास लाख मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
2. प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाए।
3. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप प्रशा0 विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरणसक्षम लोकल/ आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाए।
4. प्रश्नगत कार्य के लिए निर्विवाद रूप से नियमानुसार भूमि उपलब्ध होने के उपरांत ही कार्य किया जायेगा।
5. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं की निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ प्रशासनिक विभाग का होगा।
6. प्रायोजनान्तर्गत 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। प्रशा0 विभाग द्वारा अपने कार्यदायी संस्था/ स्तर से सुनिश्चित किया जाए कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।
7. प्रायोजनान्तर्गत यूटीलिटी शिफ्टिंग हेतु रू0 15.60 लाख प्रस्तावित किये गये है जिसका कोई विवरणनहीं आधार उपलबध्/ कराया गया है। प्रभाग द्वारा कार्य हेतु एकमुश्त धनराशि रू0 5.00 लाख अनुमन्य किया गया है। प्रभाग का मत है कि उक्त कार्य हेतु प्रशा0 विभागकार्यदायी संस्था/ विस्तृत आगणन के आधार पर सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरांत सुसंगत वित्तीय नियमों के अंतर्गत कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें।
8. प्रस्ताव का परीक्षण प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसेनये कार्य बढ़ाना-] कार्यो के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रशा0 विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।
9. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजनाकार्यक्रम में / आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
10. प्रायोजना प्रस्ताव का परीक्षण प्रभाग द्वारा वित्तीय स्वीकृति से किया गया है। प्रायोजना का सक्षमबजट आवंटन के उद्देश्य/ स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाए।
11. प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य कराया जाए।
12. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद के लिए किया जायेगा।
13. कार्यदायी संस्था को आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सैंटेज देय होगा।
14. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22-03-2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

15. प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/चिकित्सा संस्थान द्वारा सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
16. प्रायोजना का निर्माण स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित कराया जाए। प्रायोजना का कोई पुनरीक्षित अनुमन्य नहीं होगा।
17. बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हेतु सेंटेज अनुमन्य नहीं होगा।
18. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। परियोजना के आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
19. प्रायोजना हेतु कार्यदायी संस्था को 02 माह की आवश्यकता के अनुसार की धनराशि अवमुक्त की जायेगी। संस्थान के वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि को कोषागार से आहरण 02-02 माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाए।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-82-मेडिकल कालेज, फिरोजाबाद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-3421/दस-2021-22, दिनॉक 03 जनवरी, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

संख्या, दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. महानिदेशक, चि0शि0 एवं प्रशि0, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, फिरोजाबाद।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।